

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. स.वि.बो.क.S147/02.16.001/2023-24

29 मई 2023
8 ज्येष्ठ 1945 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ii) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास

शक्तिकान्त दास